न्यायालय जिला कलेक्टर,टोंक

(चिन्मयी गोपाल,आई0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 80 / 2015
प्रविष्टि दिनांक 22.06.2015

1–प्रकाश पुत्र जंसी जाति मीणा निवासी वजीरपुराकंला तहसील व जिला टोंक
2–रामसहाय पुत्र जंसी जाति मीणा निवासी वजीरपुराकंला तहसील व जिला टोंक
3–रामेश्वर पुत्र जसी जाति मीणा निवासी वजीरपुराकला तहसील व जिला टाक
4–मोत्या पुत्री जंसी जाति मीणा निवासी वजीरपुराकंला तहसील व जिला टोंक
5–शान्ति पुत्री जंसी जाति मीणा निवासी वजीरपुराकंला तहसील व जिला टोंक

–अपीलाण्ट्स

बनाम

1–अम्बालाल पुत्र श्योकरण जाति मीणा निवासी वजीरपुराकंला तहसील व जिला टोंक
2–कजोड पुत्रश्योकरण जाति मीणा निवासी वजीरपुराकंला तहसील व जिला टोंक
3–तहसीलदार टोंक

–रेस्पोडेण्ट्स

अपील विरूद्व आदेश दिनांक 12.01.2011 प्रशासन गाव के सग अभियान 2010 पीठसीन अधिकारी तहसीलदार भू.अ. टोंक

उपस्थिति : (1) श्री भजन लाल सैनी, अभिभाषक अपीलान्ट्स
(2) श्री रजनीश यादव, अभिभाषक रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2

निर्णय **दिनांक 01.02.2023**

अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार टोंक द्वारा दिनांक 12.01.2011 को खाता संख्या 2 कुल किता–7 रकबा 37 बीघा वाक ग्राम सोलतपुरा का पक्षकारान के मध्य बंटवारा किया गया है। अपीलान्ट्स ने तहसीलदार टोंक के उक्त आदेश से व्यथित होकर आदेश का खिलाफ कानून बताते हुए निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एंव तलबी रेस्पोडेण्ट जरिए सम्मन की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट्स ने दोरान बहस अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलान्टत व रेस्पोडेन्टस ने तहसीलदार टोंक क समक्ष प्रशासन गांव के संग अभियान 2010 म अपनी सयुक्त खातदारी एव कब्जे काश्त की ग्राम

न्यायालय जिला कलेक्टर सत्यमेव जयते टोंक (राजस्थान)

जिला कलेक्टर
टोंक

सोलतपुरा पटवार हल्का मीरनगर तहसील टोंक स्थित भूमि के सम्बन्ध मे विभाजन के लिए प्रार्थना–पत्र पेश किया गया था, परन्तु दोनो पक्षो के मोके पर हुऐ विभाजन एव कब्जे के विपरीत जाकर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। आराजी खसरा न0 20 रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा, ख.न. 23 रकबा 7 बीघा 9 बिस्वा, ख.न. 24 रकबा 7 बीघा 9 बिस्वा ख.न. 29 रकबा 2 बीघा 9 बिस्वा ख.न. 44 रकबा 3 बीघा 13 बिस्वा, ख.न. 45 रकबा 9 बीघा 7 बिस्वा, ख.न. 108 रकबा 3 बीघा 16 बिस्वा किता 8 रकबा 37 बीघा ग्राम सोलतपुरा तहसील टोंक मे स्थित है,जिसमे अपीलान्टस एव रेस्पोडेन्टस का हिस्सा जमाबन्दी के अनुसार दर्ज था। अपीलान्टस एवं रेस्पोडेन्टस ने वर्षो से मोके पर आपसी सहमति से विवादित भूमियों का विभाजन कर रखा है और शान्ति पूर्वक काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है। उसी कब्जे एवं हिस्से अनुसार दोनो पक्षों ने सहमत होकर अपने–अपने हिस्से की भूमियो को विभाजन करवाने के लिऐ एव रिकोर्ड पृथक–पृथक करवाने के लिऐ अधीनस्थ न्यायालय मे प्रा.पत्र पेश किया था। दोनो पक्षों के मध्य विवादित भूमियो के मध्य विभाजन के लिऐ कब्जे एवं हिस्से के अनुसार राजस्व कर्मचारियों ने दोनो पक्षों की सहमति से नक्शा व रिपोर्ट तैयार कर रंग भरा गया था। जिसके अनुसार ख.न. 20 रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा सम्पूर्ण अपीलान्टस के हिस्से में आना तय हुआ था तथा ख.न. 29 मे आधा हिस्सा अपीलान्ट व आधा हिस्सा रेस्पोडेन्टस का रहना तय हुआ था तथा शेष खसरा नम्बरान में अपीलान्टस व रेस्पोडेन्टस का कब्जा व हिस्सा दर्शाया हुआ है। रेस्पोडेन्टस ने जबरन अपीलान्टस से विवाद करना प्रारम्भ किया तथा यह कहा कि इन भूमियो में हम जबरन काश्त करेंगे क्योंकि हमारे हक में निर्णय होकर खातेदारी का अमल भी हो गया है तब अपीलान्टस ने अपीलाधीन आदेश की टोंक आकर जानकारी करवाकर नकल के लिए प्रार्थना –पत्र देकर आवेलम्ब नकल प्राप्त की और नकल मिलते ही आज बिना किसी देरी के यह अपील पेश करवायी जा रही है जो जानकारी से व नकल मिलने से अन्दर मियाद है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दोषपूर्ण होने से निरस्तनीय है।

अभिभाषक अप्रार्थीगण ने दोराने बहस कथन किया कि प्रशासन गांवों के संग अभियान 2010 मे दिनांक 12.01.2011 को पक्षकारान द्वारा शिविर प्रभारी को आपसी सहमति से बंटवारा हेतु प्रार्थना पत्र पेश करने पर तहसीलदार टोंक द्वारा दिनांक 12.01.2011 को आपसी सहमति से बंटवारा किया गया है। बंटवारा पत्र पर सभी पक्षकारान के हस्ताक्षर है।अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही एव उचित है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एंव अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन करने से विदित होंता है कि प्रशासन गांवों के संग अभियान 2010 मे दिनांक 12.01.2011 को पक्षकारान द्वारा शिविर प्रभारी को आपसी सहमति से बंटवारा करने हेतु प्रार्थना पत्र पेश करने पर भू.अ.निरीक्षक व पटवारी हल्का द्वारा तकास्मा रिपोर्ट मय नक्शा–ट्रेस तैयार की गई है तथा 100 रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प व तकास्मा रिपोर्ट व नक्शा–ट्रेस पर पक्षकारान के सहमति स्वरूप हस्ताक्षर है। तकास्मा रिपोर्ट के

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान) सत्यमेव जयते

जिला कलेक्टर
टोंक

आधार पर तहसीलदार टोंक द्वारा आदेश कमांक 23 दिनांक 12.01.2011 द्वारा आपसी सहमति से बंटवारा किया गया है। उक्त बंटवारानामे मे किसी प्रकार की त्रृटि प्रतीत नही होती है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय मे हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

फलतः अपील अपीलान्ट्स अस्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 12.01.2011 यथावत रखा जाता है। प्रार्थना पत्र स्थगन खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 01.02.2023 को खुले न्यायालय म सुनाया गया।

(चिन्मयी गोपाल)
जिला कलेक्टर, टोंक

जिला कलेक्टर
टोंक